

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

[सप्तदश(मानसून)सत्र]

गुरुवार, तिथि-

01 अगस्त, 2024(ई०)

10 श्रावण, 1946(श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रारम्भिक-कार्य

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उस पर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० एवं श्रीमती सविता महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-29-07-2024, 30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

- (05)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-29-07-2024, 30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

- (06)- श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

- (07)- श्री बिरंची नारायण एवं श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

- (08)- श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

(09)- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

(10)-सुश्री अम्बा प्रसाद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-30-07-2024 एवं 31-07-2024 से स्थगित)

(11)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-2024 से स्थगित)

(12)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-2024 से स्थगित)

(13)- श्री संजीव सरदार, स०वि०स० एवं श्री निरल पुरती, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-2024 से स्थगित)

(14)- सर्वश्री राजेश कच्छप, मथुरा प्रसाद महतो एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-2024 से स्थगित)

(15)- श्री अमित कुमार यादव, स०वि०स० एवं डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-31-07-2024 से स्थगित)

(16)- श्री बिनोद कुमार सिंह,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(17)-श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन,स०वि०स० एवं श्री सुदिव्य कुमार,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18)-सर्वश्री कोचे मुण्डा, नीलकंठ सिंह मुण्डा एवं श्री केदार हजरा, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(19)- श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,स०वि०स०, श्री राजेश कच्छप,स०वि०स० एवं श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।



(20)-श्री अमित कुमार मण्डल,स०वि०स० एवं श्री नारायण दास,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(21)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(22)-प्रभारी मंत्री द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या-6160, दिनांक-22-12-2023 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक-25-02-2024 को समर्पित किया गया है। इसे The Commission of Inquiry Act-1952 की धारा-3 (उप धारा-4) के प्रावधान के आलोक में आयोग की प्रमाणिकृत प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।

(23)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(24)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: राजकीय संकल्प :-

(25)-प्रभारी मंत्री,(खनन एवं भूतत्व विभाग)डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि "CBA Act, 1957 के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा CBA Act के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा/लीज पर दिये जाने का अधिकार सरकारी कम्पनियों को दिए जाने के बावत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मंतव्य, जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में CBA Act, 1957 में प्रस्तावित संशोधन को पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है"। एतद् विषयक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने हेतु सभा की सहमति हो।

(26)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-3519/वि०स०,राँची,दिनांक-31/07/24

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष /सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ०पृ०30.....04

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-3519/वि०स०,राँची,दिनांक-31/07/24  
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय  
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

~~31/07/24~~  
31/07/24  
(हरेन्द्र कुमार साह)  
उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-13/2024-3519/वि०स०,राँची,दिनांक-31/07/24  
प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/  
पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~31/07/24~~  
31/07/24  
उप सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा,राँची।  
गोपी

गोपी कृष्णा/